

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर 2021—भाद्र 19, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2021

क्र. एफ 1(ए)168-1989-ब-2-दो.— राज्य शासन श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.), पु.मु. भोपाल को दिनांक 10 मई से दिनांक 25 जून 2021 तक सैंतालीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 94 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)57-2015-ब-2-दो.— राज्य शासन श्री तिलक सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाण रेन्ज, खरगौन को दिनांक 12 अप्रैल से दिनांक 25 मई 2021 तक चवालीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तिलक सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाण रेन्ज, खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री तिलक सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिलक सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

8035

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

क्र. एफ 1(ए)02-2012-ब-2-दो.— विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जुलाई 2021 को निरस्त करते हुए राज्य शासन श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सामान्य) पु.मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 25 अगस्त 2021 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 अगस्त 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित मैसूर (कर्नाटक) की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री आबिद खान — स्वयं
2. जायरा फातिमा खान — पत्नी
3. असद मोहम्मद खान — पुत्र
4. अहत मोहम्मद खान — पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आबिद खान, भापुसे का चालू कार्य श्रीमती सारिका शुक्ला, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (एक्स), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आबिद खान, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सामान्य) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आबिद खान, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) के अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आबिद खान, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आबिद खान, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)187-1991-ब-2-दो.— राज्य शासन श्री राजेश चावला, भापुसे, निदेशक, म. प्र. पुलिस अकादमी भौरी भोपाल, को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2021 में दिनांक 19 से 25 अगस्त 2021 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित सहारनपुर उ. प्र. गृह नगर जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1. श्री राजेश चावला — स्वयं
2. श्रीमती सुनीता चावला — पत्नी

(2) अवकाश अवधि में श्री राजेश चावला, भापुसे का चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न निदेशक म. प्र. पुलिस अकादमी भौरी भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेश चावला, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)111-1993-ब-2-दो.— विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2021 को निरस्त करते हुए राज्य शासन श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (महिला अपराध), पु. मु. भोपाल ने दिनांक 16 से दिनांक 20 अगस्त 2021 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 अगस्त 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (महिला अपराध), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ 1(ए)62-2001-ब-2-दो.— राज्य शासन समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मार्च 2021 द्वारा श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (एटीएस), पु. मु. भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 12(2)-2020 EII(A) दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) स्वीकृति प्रदान की गई थी.

(2) चूंकि श्री गुप्ता, भापुसे द्वारा उक्त योजना का लाभ नहीं लिया गया है. अतः अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का आदेश दिनांक 3 मार्च 2021 निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2021

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-3240-2021.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)/13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 4, 8, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 59, 60, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83 और 84 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	कु. कल्पना मरावी, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, कोतमा.	अनूपपुर	कोतमा	कोतमा	कोतमा
8	श्री संजोग सिंह वघेला, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, सेंधवा.	सेंधवा	बड़वानी	1. सेंधवा 2. बड़वानी	1. सेंधवा 2. बड़वानी
16	श्री राजू सिंह डार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
19	श्री नीरज कुमार प्रजापति, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, पांडुर्णा.	पांडुर्णा	छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	पांडुर्णा
22	सुश्री दीक्षा दोहरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, दतिया.	दतिया	दतिया	दतिया	दतिया
23	श्री ब्रजेश सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, सेंवड़ा.	सेंवड़ा	दतिया	सेंवड़ा	सेंवड़ा
24	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, छठवीं व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, देवास.	देवास	देवास	देवास	देवास
28	श्री रवि वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, डिण्डोरी.	डिण्डोरी	डिण्डोरी	डिण्डोरी	डिण्डोरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	श्री विपेन्द्र यादव, छठवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, खण्डवा.	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा
30	श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, गुना.	गुना	गुना	गुना	गुना
32	श्री वरूण कुमार शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, ग्वालियर.	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर
33	श्री संजीव कुमार पालीवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, डबरा.	डबरा	ग्वालियर	डबरा	डबरा
34	श्री सचेंद्र कुमार भदकारिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, हरदा.	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा
37	श्री सतीश वसुनिया, आठवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, हंदौर.	हंदौर	हंदौर	हंदौर	हंदौर
38	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त, बाईसवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
39	श्री आदिल अहमद खॉन, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, पाटन.	पाटन	जबलपुर	पाटन	पाटन
41	श्री सचिन कुमार जादव, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, थांदला.	थांदला	झाबुआ	थांदला	थांदला
46	श्री अनिरुद्ध जैन, छठवें व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, मुरैना.	मुरैना	मुरैना	मुरैना	मुरैना
47	कुमारी पुनीता चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, अंबाह.	अंबाह	मुरैना	अंबाह	अंबाह
59	श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, सिरमौर.	सिरमौर	रीवा	सिरमौर	सिरमौर
60	श्री भरत सिंह कनेल छठवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, सागर.	सागर	सागर	सागर	सागर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66	श्रीमती संगीता पेंड्रम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, सिवनी.	सिवनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी
67	श्रीमती चैनवतीतारम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, लखनादोन.	लखनादोन	सिवनी	लखनादोन	लखनादोन
68	श्री सतीश शर्मा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, शहडोल.	शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल
70	श्री नीरज अग्रवाल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, शाजापुर.	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
73	श्री उमेश भगवती, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, शिवपुरी.	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
74	श्री ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, करेरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	करेरा	शिवपुरी	करेरा	करेरा
76	श्री धन कुमार कुडोपा, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, मझोली.	मझोली	सीधी	मझोली	मझोली
77	श्री अभिषेक कुमार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, वैढन.	वैढन	सिंगरौली	वैढन	वैढन
80	श्री विरेन्द्र जोशी, नौवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, उज्जैन.	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
81	श्रीमती उर्मिला खेड़कर, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, महिदपुर के न्यायालय में द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर	महिदपुर
82	सुश्री खालिदा तनवीर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, उमरिया.	उमरिया	उमरिया	उमरिया	उमरिया
83	श्री राकेश सनोडिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, विदिशा.	विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
84	सुश्री अपूर्वा ताम्रकर, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, सिरोंज.".	सिरोंज	विदिशा	सिरोंज	सिरोंज

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-3094-2021.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial number 4, 8, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 59, 60, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83 and 84 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4	Ku. Kalpna Maravi, Civil Judge, Senior Division, Kotma.	Kotma	Anuppur	Kotma	Kotma
8	Shri Sanjog Singh Vaghela, Civil Judge, Senior Division, Sendhwa.	Sendhwa	Badwani	1. Sendhwa 2. Barwani	1. Sendhwa 2. Barwani*
16	Shri Raju Singh Dawar, 1 st Civil Judge, Junior Division, Chhatarpur.	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur
19	Shri Neeraj Kumar Prajapati, Civil Judge, Senior Division, Pandhurna.	Pandhurna	Chhindwara	Pandhurna	Pandhurna
22	Sushri Diksha Dohre, 1 st Civil Judge, Junior Division, Datia.	Datia	Datia	Datia	Datia
23	Shri Brajesh Singh, Civil Judge, Senior Division, Seodha.	Seodha	Datia	Seodha	Seodha
24	Smt. Jyoti Dongre Sharma, VI th Civil Judge, Senior Division, Dewas.	Dewas	Dewas	Dewas	Dewas

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Shri Ravi Verma, II nd Civil Judge, Junior Division, Dindori.	Dindori	Dindori	Dindori	Dindori
29	Shri Vipendra Singh Yadav, VI th Civil Judge, Senior Division, Khandwa.	Khandwa	Khandwa	Khandwa	Khandwa
30	Shri Munendra Singh Verma II nd Civil Judge, Senior Division, Guna.	Guna	Guna	Guna	Guna
32	Shri Varun Kumar Sharma, III rd Civil Judge, Senior Division, Gwalior.	Gwalior	Gwalior	Gwalior	Gwalior
33	Shri Sanjeev Kumar Paliwal, I st Civil Judge, Senior Division, Dabra.	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
34	Shri Sachendra Kumar Bhadkariya, IV th Civil Judge, Junior Division, Harda.	Harda	Harda	Harda	Harda
37	Shri Satish Vasuniya, VIII th Civil Judge, Senior Division, Indore.	Indore	Indore	Indore	Indore
38	Smt. Shubhangi Palo Datt, XXII nd Civil Judge, Senior Division, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
39	Shri Adil Ahmad Khan, IIP rd Civil Judge, Senior Division, Patan.	Patan	Jabalpur	Patan	Patan
41	Shri Sachin Kumar Jadhav, Civil Judge, Senior Division, Thandla.	Thandla	Jhabua	Thandla	Thandla
46	Shri Aniruddha Jain, VI th Civil Judge, Junior Division, Morena.	Morena	Morena	Morena	Morena
47	Ku. Puneeta Chouhan, I st Civil Judge, Senior Division, Ambah.	Ambah	Morena	Ambah	Ambah
59	Shri Rajendra Singh Singar, I st Civil Judge, Senior Division, Sirmour.	Sirmour	Rewa	Sirmour	Sirmour
60	Shri Bharat Singh Kanel, VI th Civil Judge, Senior Division, Sagar.	Sagar	Sagar	Sagar	Sagar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66	Smt. Sangeeta Pandram, Ist Civil Judge, Junior Division, Seoni.	Seoni	Seoni	Seoni	Seoni
67	Smt. Chainwati Taram, Ist Civil Judge, Senior Division, Lakhnadone	Lakhnadone	Seoni	Lakhnadone	Lakhnadone
68	Shri Satish Sharma, IIIrd Civil Judge, Senior Division, Shahdol.	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol
70	Shri Neeraj Agrawal, IIIrd Civil Judge, Junior Division.	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Shajapur
73	Shri Umesh Bhagwati, I st Civil Judge, Junior Division, Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
74	Shri Gyanendra Kumar Shukla, Additional Judge to the Court of the Ist Civil Judge, Senior Division, Karera.	Karera	Shivpuri	Karera	Karera
76	Shri Dhan Kumar Kudopa, Civil Judge, Senior Division, Majholi.	Majholi	Sidhi	Majholi	Majholi
77	Shri Abhishek Kumar, III rd Civil Judge, Senior Division, Waidhan.	Waidhan	Singrauli	Waidhan	Waidhan
80	Shri Virendra Joshi, IX th Civil Judge, Senior Division, Ujjain.	Ujjain	Ujjain	Ujjain	Ujjain
81	Smt. Urmila Khedkar, II nd Additional Judge to the Court of the Civil Judge, Senior Division, Mahidpur.	Mahidpur	Ujjain	Mahidpur	Mahidpur
82	Sushri Khalida Tanweer, I st Civil Judge, Junior Division, Umaria.	Umaria	Umaria	Umaria	Umaria
83	Shri Rakesh Sanodiya, III rd Civil Judge, Senior Division, Vidisha.	Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha
84	Sushri Apoorva Tamrakar, Civil Judge, Senior Division, Sironj.”.	Sironj	Vidisha	Sironj	Sironj

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2021

फा. क्र. 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक)-3317-2021.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) के नियम 8 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 मार्च, 2012 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 3, 7 तथा 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :—

अनुसूची

अनु. क्रमांक (1)	प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)	मुख्यालय का स्थान (3)	अधिकारिता (4)
“3.	श्री उमाशंकर अग्रवाल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1, जबलपुर.	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, जबलपुर.	राजस्व जिला सागर दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, उमरिया, डिण्डोरी, शहडोल एवं अनूपपुर को को समाविष्ट करने वाला विशेष न्यायालय क्रमांक 1 का क्षेत्र.”
7.	श्री मनीष भट्ट, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1, इन्दौर.	इन्दौर	राजस्व जिला देवास, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच एवं धार को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.
8.	श्री यतीन्द्र कुमार गुरू, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2, इन्दौर.	इन्दौर	राजस्व जिला इन्दौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगौन (प. निमाड) खण्डवा (पूर्वी निमाड) बड़वानी एवं बुरहानपुर को समाविष्ट करने वाला विशेष न्यायालय क्रमांक 2 का क्षेत्र.

F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One)3317-2021.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2012, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification No. F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One) dated 2nd March, 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) dated 2nd March 2012 namely:—

AMENDMENT

In the said notification for serial number 3, 7 and 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of Authorized Officer (2)	Place of Headquarter (3)	Jurisdiction (4)
“3	Shri Uma Shankar Agrawal, Additional Sessions Judge, and Presiding Judge Special Court No. 1, Jabalpur.	Special Court No. 1, Jabalpur.	Special Court No. 1 Area comprising of Revenue Districts Sagar, Damoh, Panna, Chhatarpur, Tikamgarh, Satna, Umaria, Dindori, Shahdol and Anoppur.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Shri Manish Bhatt, Additional Sessions Judge Indore and Presiding Judge Special Court No. 1, Indore.	Indore	Area comprising of Revenue District, Dewas, Ratlam, Shajapur, Ujjain, Mandsaur, Neemuch and Dhar.
8.	Shri Yatindra Kumar Guru, Additional Sessions Judge Indore and Presiding Judge Special Court No. 2, Indore.	Indore	Special Court No. 2 Area comprising of Revenue District Indore, Alirajpur, Jhabua, Khargone (West Nimar) Khandwa (East Nimar) Barwani & Burhanpur.

फा. क्र. 3316-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अधीन श्री लीलाधर सोलंकी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ एवं श्री नीरज कुमार शर्मा, पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दमोह को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 3315-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सिवनी.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर की हैसियत से श्री सनत कुमार कश्यप के स्थान पर.
2	श्री पूरन चंद्र गुप्ता, उन्नीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्री संजय कृष्ण जोशी के स्थान पर.
3	श्रीमती उषा गेडाम, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, उज्जैन.	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन की हैसियत से श्री विवेक कुमार गुप्ता के स्थान पर.
4	श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (सीनियर), प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आगर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री रघुवंशी वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
5	श्रीमती मनीषा बसेर, अष्टम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्रीमती बसेर वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगी एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगी.

- | | | |
|---|--|---|
| 6 | श्रीमती सविता सिंह,
पन्द्रहवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
इन्दौर. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास की हैसियत से श्री एम. एस. ए. अंसारी के स्थान पर श्रीमती सिंह, वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर का का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगी एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 3 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगी. |
| 7 | कुमारी प्रतिभा सतावने,
द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त
सत्र न्यायाधीश, डिण्डोरी. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल की हैसियत से डॉ. रमेश साहू के स्थान पर श्रीमती सतावने वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, अनूपपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगी एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में दस दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, अनूपपुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगी. |
| 8 | श्रीमती किरण सिंह,
चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
खण्डवा. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी की हैसियत से श्री संजीव श्रीवास्तव के स्थान पर. |

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2021

फा. क्र. 2961, 2893-इक्कीस-ब(दो)21.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला दतिया के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी.-886-1988, दिनांक 8 अगस्त 1988) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 20 जुलाई 1962 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी, अधिवक्ता, दतिया को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार सिंह, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2021

कमाक -एफ -3/67/2021/18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (कमांक -1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना कमांक 2364/टी.सी./80/उपांतरण/नग्रानि/2021 भोपाल दिनांक 21.05.2021 के द्वारा प्रस्तावित किये गये एवं तत्पश्चात सुनवाई उपरांत प्रस्तावित अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है, उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

अनुसूची

कं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	तिलवाराघाट	43	2.244	0.756	60.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग एवं कृषि
2	तिलवाराघाट	41	6.91	0.377	60.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
3	तिलवाराघाट	74	0.485	0.175	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
4	तिलवाराघाट	73	0.04	0.04	60.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
5	तिलवाराघाट	72	0.361	0.15	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
6	तिलवाराघाट	68	1.872	0.126	60.00 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित मार्ग	आवासीय एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
7	तिलवाराघाट	81	0.243	0.243	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आवासीय एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
8	तिलवाराघाट	80	0.113	0.065	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
9	तिलवाराघाट	82	0.045	0.027	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
10	तिलवाराघाट	88	0.454	0.002	60.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग का भाग	कृषि
11	तिलवाराघाट	89	0.089	0.043	60.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
				0.029	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
12	तिलवाराघाट	104	0.959	0.621	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
				0.005	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

13	तिलवाराघाट	98	3.763	0.162	80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
				0.007	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
				0.214	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
14	तिलवाराघाट	103	1.481	0.68	80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
				0.318	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
				0.178	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
15	तिलवाराघाट	102	8.295	0.864	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
				0.554	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
				0.556	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
16	तिलवाराघाट	113	5.748	0.573	80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
				0.615	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
				0.393	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
17	तिलवाराघाट	1	93.044	4.496	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं कृषि तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
				0.796	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
				0.732	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
18	ललपुर	3	58.133	4.991	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
19	ललपुर	10	1.311	0.728	80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
20	ललपुर	09 एवं 11	0.687	0.083	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान)
21	ललपुर	19	1.513	0.065	80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान)
22	ललपुर	38, 39, 40 एवं 41	4.761	0.835	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
23	ललपुर	42	0.81	0.489	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
24	ललपुर	43	2.833	1.089	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
25	ललपुर	56	0.166	0.166	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
26	ललपुर	52/1	0.031	0.015	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान)
27	ललपुर	55	0.154	0.021	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान)

28	ललपुर	58	0.417	0.013	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
29	ललपुर	91	0.534	0.29	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
30	ललपुर	90	0.582	0.336	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
31	ललपुर	89	0.599	0.268	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
32	ललपुर	87	0.636	0.05	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
33	ललपुर	86	0.539	0.022	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
34	ललपुर	112/1 एवं 113/1	0.972	0.435	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
35	ललपुर	114/1	0.909	0.344	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
36	ललपुर	114/2	0.789	0.009	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान)
37	ललपुर	85/1, 85/2, 85/3 एवं 85/4	1.722	0.358	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
38	ललपुर	115 एवं 116/1	1.275	0.815	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
39	ललपुर	117	1.234	0.288	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
40	ललपुर	116/2 एवं 196	3.723	0.857	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
41	ललपुर	118	0.36	0.067	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
42	ललपुर	195	1.223	0.751	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
43	ललपुर	177	0.081	0.008	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
44	ललपुर	178/1	0.245	0.065	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
45	ललपुर	178/2	0.245	0.075	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
46	ललपुर	194	1.052	0.474	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
47	ललपुर	180	1.643	0.204	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
48	ललपुर	181/1	0.471	0.085	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
49	ललपुर	181/2	0.471	0.1	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
50	ललपुर	182/1	0.317	0.161	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
51	ललपुर	193	3.61	0.64	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान), सार्वजनिक सेवा एवं सुविधाएं तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
52	ललपुर	185/1	0.388	0.095	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
53	ललपुर	185/6	0.389	0.059	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

					मार्ग का भाग	
54	ललपुर	185/5	0.388	0.053	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
55	ललपुर	187	1.197	0.019	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
56	ललपुर	189 एवं 190	2.866	0.925	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
57	ग्वारीघाट	21	1.416	0.396	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं आवासीय एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
				0.052	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
58	ग्वारीघाट	22	0.727	0.101	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
				0.216	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
59	ग्वारीघाट	39	0.805	0.201	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं
60	ग्वारीघाट	38	1.740	0.745	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं एवं 30.00 मी. चौड़ा मार्ग
61	ग्वारीघाट	37	0.906	0.253	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
62	ग्वारीघाट	24	0.559	0.217	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
63	ग्वारीघाट	35	0.188	0.161	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
64	ग्वारीघाट	34	0.265	0.026	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
65	ग्वारीघाट	25	0.866	0.334	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
66	ग्वारीघाट	28	0.53	0.422	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
67	ग्वारीघाट	27	0.436	0.269	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
68	ग्वारीघाट	16	0.427	0.175	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
69	ग्वारीघाट	74	3.318	0.573	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
70	ग्वारीघाट	76	0.663	0.118	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
71	ग्वारीघाट	105	1.263	0.332	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
72	ग्वारीघाट	100	0.893	0.035	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
73	ग्वारीघाट	104	1.772	1.101	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
74	ग्वारीघाट	103	0.205	0.064	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
75	ग्वारीघाट	145	3.252	0.445	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
76	ग्वारीघाट	150	0.034	0.031	वर्तमान आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
77	ग्वारीघाट	134	0.255	0.216	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय

78	ग्वारीघाट	135	0.532	0.516	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
79	ग्वारीघाट	136	0.865	0.126	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	आवासीय
80	ग्वारीघाट	131	3.262	0.26	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
				0.054	वर्तमान आवासीय	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
81	ग्वारीघाट	181	1.298	0.432	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
82	ग्वारीघाट	182	1.121	0.467	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	आवासीय
83	ग्वारीघाट	178	0.979	0.025	वर्तमान आवासीय	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
84	ग्वारीघाट	179	0.101	0.021	वर्तमान आवासीय	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
85	ग्वारीघाट	23	0.749	0.275	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
86	ग्वारीघाट	18	0.841	0.014	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
87	ग्वारीघाट	17	0.799	0.495	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
88	ग्वारीघाट	14	0.819	0.279	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
89	ग्वारीघाट	77	1.054	0.137	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
90	ग्वारीघाट	75	1.594	0.234	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
91	ग्वारीघाट	76	0.663	0.118	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
92	ग्वारीघाट	85	0.445	0.012	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
93	ग्वारीघाट	86	0.170	0.065	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
94	ग्वारीघाट	89	0.530	0.206	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
95	ग्वारीघाट	88	0.282	0.048	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
96	ग्वारीघाट	87	0.267	0.035	प्रस्तावित आवासीय	वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
97	ग्वारीघाट	149	0.122	0.043	आवासीय	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
98	जिलहरी	108	0.169	0.169	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	कृषि
99	जिलहरी	107	0.837	0.837	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	कृषि
100	जिलहरी	2/2, 3/2 एवं 6/2	3.412	1.411	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग एवं रेलवे क्षेत्र	वर्तमान निर्मित मार्ग
101	जिलहरी	105/1	7.763	0.004	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
102	जिलहरी	97/4	4.897	0.554	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
103	जिलहरी	97/1	1.161	0.491	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
104	जिलहरी	82/2	0.608	0.099	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

				0.509	मार्ग	कृषि
105	जिलहरी	83/3	2.069	0.062	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
				2.007		कृषि
106	जिलहरी	85/2	0.059	0.038	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
107	जिलहरी	87/1	0.479	0.027	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
108	जिलहरी	88/1	1.554	0.041	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
109	जिलहरी	83/2, 105/2	2.453	1.985	रेलवे	वर्तमान निर्मित मार्ग
110	जिलहरी	-.1	0.116	0.034	रेलवे	वर्तमान निर्मित मार्ग
111	जिलहरी	91	0.02	0.02	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
112	जिलहरी	89/2	0.121	0.071	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
113	जिलहरी	86	0.529	0.017	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	कृषि
114	जिलहरी	87/2	0.627	0.007	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
				0.031	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
115	जिलहरी	88/2	0.210	0.097	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
116	जिलहरी	92	3.331	0.721	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
				0.193	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
117	जिलहरी	93	0.328	0.174	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
118	भटौली	36/1	27.708	2.783	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
				1.007	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
119	भटौली	5/1	3.615	0.11	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
120	भटौली	6	0.291	0.194	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
121	भटौली	7	0.287	0.219	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
122	भटौली	8	0.202	0.051	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
123	भटौली	9	3.421	0.031	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
124	भटौली	16	0.983	0.293	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
125	भटौली	17	1.651	0.141	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
126	भटौली	18	0.595	0.336	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
127	भटौली	21	0.773	0.085	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
128	भटौली	102/1	0.257	0.071	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
129	भटौली	102/2	0.837	0.071	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
130	भटौली	103	1.424	0.011	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
131	भटौली	105	1.428	0.051	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
132	भटौली	106	0.757	0.005	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
133	भटौली	37	0.854	0.336	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
134	भटौली	36/2	1.618	0.403	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
135	भटौली	35	1.598	0.072	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	कृषि
136	भटौली	25	0.65	0.546	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	कृषि
137	भटौली	26	0.531	0.33	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	कृषि

138	भटौली	24	0.242	0.178	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
139	भटौली	23/1	0.482	0.011	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	कृषि
140	भटौली	98	0.231	0.154	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	कृषि
141	भटौली	97	0.68	0.502	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
142	भटौली	112	60.419	5.662	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
				2.938	कृषि	30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
143	परसवारा	4	0.66	0.019	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	कृषि
144	परसवारा	5	0.71	0.421	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
145	परसवारा	6	2.02	0.806	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
146	परसवारा	7	0.88	0.013	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	कृषि
147	परसवारा	11	0.51	0.009	60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग	कृषि
कुल योग			409.492	67.948		

उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 9 मार्च 2021

क्र. 69-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-2648-मौजा टड़ा, पट.ह.नं.-01, तहसील रहली.—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार द्वारा बीना कटनी तीसरी लाईन परियोजना (263 किमी) निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा टड़ा पटवारी हल्का नंबर 01, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 651, 650, 652, 654 रकबा क्रमशः 0.590, 0.590, 0.030, 0.330 हे. में से कुल रकबा 0.250 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्न : प्ररूप-ख एवं ग

अ.वि.अ. रहली का प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-20-21 ग्राम टड़ा, तहसील गढ़ाकोटा
प्ररूप-ख
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना
2	लोक प्रयोजन	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा.
3	स्थल	ग्राम टड़ा पट. ह. नं.-01 तहसील टड़ा
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि 0.250 हे. अशासकीय भूमि
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है.
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित.	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता/निर्माण II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा.
7	परियोजना निर्माण के चरण	रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे.	संलग्न है.
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	ग्राम टड़ा की 0.25 हैं. शासकीय भूमि
10	भूमि का मूल्य	ग्राम टड़ा की वर्ष 2020-21 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 0.250 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 128000.00 रुपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 64000.00 रुपये मात्र है.
11	प्रभावित परिवारों की संख्या [अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार].	04

12	परिसंपत्तियां	लोक संपत्ति— कोई लोक संपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है.																								
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई—	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या</th> </tr> <tr> <th>अ. जा.</th> <th>अ.ज.जा.</th> <th>अन्य</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">जिनकी मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या</th> </tr> <tr> <th>अ. जा.</th> <th>अ.ज.जा.</th> <th>अन्य</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या				अ. जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0	जिनकी मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या				अ. जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या																										
अ. जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग																							
0	0	0	0																							
जिनकी मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या																										
अ. जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग																							
0	0	0	0																							
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची	निरंक निरंक																								
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों—तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई? (ख) यदि नहीं—तो क्यों?	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा. निरंक																								
16	निष्कर्ष	लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है. परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा. अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है.																								

अ.वि.अ. सागर का प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-20-21 ग्राम टड़ा, तहसील रहली

प्ररूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं हैं.
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं हैं.
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन.	प्रभावित नहीं हैं.
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं हैं.

5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं है.
6	पशुओं के लिये जलस्रोत	प्रभावित नहीं है.
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं है.
8	जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत् आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान.	उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है.
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है.
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा.	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है.

सागर, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्र. 28-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-7105, मौजा मुहासा, पट.ह.नं.-05-तहसील बीना.—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) उत्तर मध्य रेल झांसी द्वारा झांसी-बीना तीसरी लाईन निर्माण में पड़ने वाले ग्राम मुहासा, पट.ह.नं. 05 तहसील बीना जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 160, 162, 163/1, 163/2, 164, 165, 166 रकबा क्रमशः 0.790, 0.300, 0.160, 0.100, 0.680, 0.650, 0.880 हे. में से रकबा क्रमशः 0.195, 0.070, 0.032, 0.030, 0.059, 0.016, 0.003 हे. कुल रकबा 0.405 हे. भूमि का अर्जन किये जाने बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किया जाकर सार्वजनिक सूचना क्रमांक 28अ-82-19-20-भू-अर्जन-2021-2621, सागर दिनांक 19 मार्च 2021 जारी की गई थी. उक्त भूमि का समुचित सरकार अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्न : प्ररूप-ख एवं ग

प्रारूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	झांसी बीना तीसरी लाईन निर्माण परियोजना
2	लोक प्रयोजन	आमजन के सुगम आवागमन हेतु झांसी से बीना रेलवे लाईन के एवज में रेलवे लाईन का निर्माण.
3	स्थल	मौजा मुहासा, पट.ह.नं.-05 में खसरा नंबर 160, 162, 163/1, 163/2, 164 रकबा क्रमशः 0.790, 0.300, 0.160, 0.100, 0.680 हे. में से रकबा 0.100, 0.04, 0.02, 0.01, 0.035 कुल रकबा—0.205 हे.

4	परियोजना का क्षेत्र	0.205 हे.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रभावित भूमि के अतिरिक्त तीसरी रेलवे निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.
6	विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	उप मुख्य अभियंता/निर्माण-II उत्तर मध्य रेलवे झाँसी
7	परियोजना निर्माण के चरण	भूमि अधिग्रहित की जाकर, समतलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से तीसरी लाईन बिछानी है.
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे.	संलग्न हैं.
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	2.128 हे.
10	भूमि का मूल्य	वर्ष 2020-21 की गाइड लाईन के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या	4
12	परिसंपत्तियां	पत्रक संलग्न हैं.
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या.	निरंक
14	सामाजिक समाघात	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	निरंक
16	निष्कर्ष	प्रस्तावित भूमि पर बीना से झाँसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण से कोई भी परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यस्थापित नहीं होगा तथा आमजन को आवागमन की सुविधा बढ़ेगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारक की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है.

प्ररूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

ग्राम-मुंहासा प.ह.नं. 52

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	कृषि (अप्रभावित होने से निरंक)
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	पत्रक संलग्न हैं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन.	निरंक
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	निरंक

5	पेयजल के स्रोत	निरंक
6	पशुओं के लिये जलस्रोत	निरंक
7	सामुदायिक तालाब	निरंक
8	जन सुविधाएं (जैसे-पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत् आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान कब्रिस्तान एवं शमशान.	निरंक
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.	जल निकास हेतु उचित व्यवस्था
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा.	अपेक्षक निकाय सहमत हैं.

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक

विषय : सागर जिले के बीना क्षेत्रान्तर्गत झांसी-बीना तीसरी रेलवे लाईन का निर्माण.

मौजा : मुंहासा ग्राम पंचायत गुरयाना प.ह.नं.-05

क्र. (1)	भू-स्वामियों का नाम (2)	खसरा नंबर (3)	परिसम्पत्तियों का नाम (4)	रिमांक (5)
1	कुसुमबाई पिता नत्थू पता मुंहासा भूमिस्वामी	160	अर्रा-02	
2	राजाराम पिता गजई पता सा. देह	162	अर्रा-2, आँवला-01	
3	सोवरन पिता लालसींग पता सा. देह	163/1, 163/2	अर्रा-2	
4	जयराम पिता हजरत सिंह पता सा. देह	164	बेल-1, आँवला-1, बेरी-2, मुनगा-1, लिप्टिस-1, अर्रा-26	

सागर, दिनांक 6 अगस्त 2021

क्र. 30-अ-82-19-20-भू-अर्जन-21-7803-मौजा परसोरा, पट.ह.नं.-19-तहसील बीना.—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) उत्तर मध्य रेल झांसी द्वारा झांसी-बीना तीसरी लाईन निर्माण में पड़ने वाले ग्राम भानगढ़ पट.ह.नं. 14 तहसील बीना जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 26/264/2, 28/265, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 41 रकबा क्रमशः 0.160, 0.590, 0.080, 3.280, 0.400, 0.400, 0.400, 0.050, 0.390 हे. में से रकबा क्रमशः 0.001, 0.019, 0.062, 0.008, 0.017, 0.210, 0.076, 0.001, 0.142 हे. कुल रकबा 0.536 हे. भूमि का अर्जन किये जाने बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किया जाकर सार्वजनिक सूचना क्रमांक 30अ-82-19-20-भू-अर्जन-2021-1639, सागर दिनांक 17 फरवरी 2021 जारी की गई थी. उक्त भूमि का समुचित सरकार अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्न : प्ररूप-ख एवं ग

प्रारूप-ख
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	झाँसी बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बाबत्
2	लोक प्रयोजन	आमजन के सुगम आवागमन हेतु झाँसी-बीना रेलवे लाईन के एवज में रेलवे लाईन का निर्माण.
3	स्थल	मौजा परसौरा प.ह.नं. -19 में खसरा नंबर 26/264/2, 28/265, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 41 रकबा क्रमशः 0.160, 0.590, 0.080, 3.280, 0.400, 0.400, 0.050, 0.390 हे. में से रकबा क्रमशः 0.001, 0.019, 0.062, 0.008, 0.017, 0.210, 0.076, 0.001, 0.142 हे. कुल रकबा-0.536 हे.
4	परियोजना का क्षेत्र	0.536 हे.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रभावित भूमि के अतिरिक्त तीसरी रेलवे निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.
6	विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	उप मुख्य अभियंता निर्माण-II उत्तर मध्य रेलवे झाँसी
7	परियोजना निर्माण के चरण	भूमि अधिग्रहीत की जाकर समतलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से तीसरी लाईन बिछानी हैं.
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न हैं
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	2.128 हे.
10	भूमि का मूल्य	वर्ष 2020-21 की गाईड लाईन के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या	07
12	परिसंपत्तियाँ	संलग्न हैं
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या	निरंक
14	सामाजिक समाघात	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	निरंक
16	निष्कर्ष	प्रस्तावित भूमि पर झाँसी-बीना तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण से कोई भी परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित नहीं होगा तथा आमजन को आवागमन की सुविधा बढ़ेगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारक की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित हैं.

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक

विषय : सागर जिले के बीना क्षेत्रान्तर्गत झांसी-बीना तीसरी रेलवे लाईन का निर्माण.

मौजा : परसोरा ग्राम पंचायत गुरयाना प.ह.नं.-19

क्र. (1)	भू-स्वामियों का नाम (2)	खसरा नंबर (3)	परिसम्पत्तियों का नाम (4)	रिमार्क (5)
1	जसवन्त सिंह पिता रतन सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी.	26/264/2	निरंक	
2	शिवनकुमार ना. वा. पिता व पालक जसवन्त सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी.	28/265	निरंक	
3	शशिकुमार पिता पन्नालाल पता सा. साकरोद तह. कुरवाई जिला विदिशा भूमिस्वामी.	31	निरंक	
4	नत्थू पिता निरन सींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	32/1	निरंक	
5	प्रेमबाई पति रतन सींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	32/2	निरंक	
6	अशोक पिता रतीराम पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	32/3	निरंक	
7	अशोक पिता रतीराम पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	32/4	निरंक	
8	सुशील कुमार पिता रूपसींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	40	निरंक	
9	सुशीलकुमार पिता रूपसींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	41	निरंक	

प्रारूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

ग्राम-परसोरा प. ह. नं. 19

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	अप्रभावित होने से निरंक
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	अप्रभावित होने से निरंक
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन.	अप्रभावित होने से निरंक
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	अप्रभावित होने से निरंक
5	पेयजल के स्रोत	अप्रभावित होने से निरंक
6	पशुओं के लिये जलस्रोत	अप्रभावित होने से निरंक
7	सामुदायिक तालाब	अप्रभावित होने से निरंक
8	जन सुविधाएं (जैसे-पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत् आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान, कब्रिस्तान एवं श्मशान).	अप्रभावित होने से निरंक
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.	जल निकास हेतु उचित व्यवस्था
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा.	अपेक्षक निकाय सहमत हैं.

क्र. 50-अ-82-19-20-भू-अर्जन-21-7806-मौजा इटावा, पट.ह.नं.-51-तहसील बीना.—उप मुख्य अभियंता निर्माण-II उत्तर मध्य रेल झाँसी द्वारा झाँसी-बीना तीसरी लाईन निर्माण में पड़ने वाले ग्राम इटावा, पट.ह.नं. 51 तहसील बीना जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 68, 124/1, 127/1 रकबा क्रमशः 2.982, 18.105, 2.428 हे. में से रकबा क्रमशः 0.085, 0.314, 0.012 हे. कुल रकबा 0.411 हे. भूमि का अर्जन किये जाने बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किया जाकर सार्वजनिक सूचना क्रमांक 50अ-82-19-20-भू-अर्जन-2021/1684, सागर दिनांक 18 फरवरी 2021 जारी की गई थी. उक्त भूमि का समुचित सरकार अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्न : प्ररूप-ख एवं ग

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	बीना झाँसी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बाबत्
2	लोक प्रयोजन	आमजन के सुगम आवागमन हेतु झाँसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन के एवज में रेलवे लाईन का निर्माण.
3	स्थल	मौजा इटावा, पट.ह.नं.-51 में तहसील बीना जिला सागर
4	परियोजना का क्षेत्र	0.411 हे.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रभावित भूमि के अतिरिक्त तीसरी रेलवे निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.
6	विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	उप मुख्य अभियंता निर्माण-II उत्तर मध्य रेलवे झाँसी
7	परियोजना निर्माण के चरण	भूमि अधिग्रहित की जाकर, समतलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से तीसरी लाईन बिछानी हैं.
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे.	संलग्न है.
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	2.128 हे.
10	भूमि का मूल्य	वर्ष 2020-21 की गाइड लाईन के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या	10
12	परिसंपत्तियां	संलग्न हैं.
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या	निरंक
14	सामाजिक समाघात	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	निरंक
16	निष्कर्ष	प्रस्तावित भूमि पर बीना से झाँसी तीसरी लाईन परियोजना के निर्माण से आमजन को आवागमन की सुविधा बढ़ेगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारक की जीविका अर्जन पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है.

क्र. 29-अ-82-19-20-भू-अर्जन-21-7810-मौजा भानगढ़, पट.ह.नं.-14-तहसील बीना.—उप मुख्य अभियंता निर्माण-II उत्तर मध्य रेल झांसी द्वारा झांसी-बीना तीसरी लाईन निर्माण में पड़ने वाले ग्राम भानगढ़, पट.ह.नं. 14 तहसील बीना जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 112, 113, 124, 125, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2 रकबा क्रमशः 2.490, 1.090, 4.740, 0.750, 0.130, 0.130, 0.130, 0.130 हे. में से रकबा क्रमशः 0.022, 0.023, 0.031, 0.001, 0.115, 0.014 हे. कुल रकबा 0.206 हे. भूमि का अर्जन किये जाने बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किया जाकर सार्वजनिक सूचना क्रमांक 29अ-82-19-20-भू-अर्जन-2021/1638, सागर दिनांक 17 फरवरी 2021 जारी की गई थी. उक्त भूमि का समुचित सरकार अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्न : प्ररूप-ख एवं ग

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	झांसी बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बाबत्
2	लोक प्रयोजन	आमजन के सुगम आवागमन हेतु झांसी बीना तीसरी रेलवे लाईन के एवज में रेलवे लाईन का निर्माण.
3	स्थल	मौजा भानगढ़, पट. ह.नं.-14 में भूमि खसरा नंबर 112, 113, 124, 125, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2 रकबा क्रमशः 2.47, 1.09, 4.74, 0.75, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13 हे. में से रकबा-0.022, 0.023, 0.031, 0.001, 0.115, 0.014 कुल रकबा-0.206 हे.
4	परियोजना का क्षेत्र	कुल रकबा-0.206 हे.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त तीसरी रेलवे निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.
6	विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) उत्तर मध्य रेलवे झांसी
7	परियोजना निर्माण के चरण	भूमि अधिग्रहित की जाकर, समतलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से तीसरी लाईन बिछानी हैं.
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे.	संलग्न है.
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	2.128 हे.
10	भूमि का मूल्य	वर्ष 2020-21 की गाइड लाईन के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या	06
12	परिसंपत्तियां	पत्रक संलग्न
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या	0
14	सामाजिक समाघात	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	निरंक

16 निष्कर्ष

प्रस्तावित भूमि पर झाँसी-बीना तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण से कोई भी परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित नहीं होगा तथा आमजन को आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारक की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है।

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक

विषय : सागर जिले के बीना क्षेत्रान्तर्गत झाँसी-बीना तीसरी रेलवे लाईन का निर्माण।

मौजा : भानगढ़ ग्राम पंचायत गुरयाना प.ह.नं.-14

क्र. (1)	भू-स्वामियों का नाम (2)	खसरा नंबर (3)	परिसम्पत्तियों का नाम (4)	रिमार्क (5)
1	सुरेशचंद पिता चंपालाल सा. देह भूमिस्वामी	128/1	झाड़ बेरी-2, नीम-1	
2		129/2	औरानीम-1	
3	प्रकाश, संजीव पिता रतनचंद सा. देह भूमिस्वामी	128/2	झाड़ बेरी-5, अर्वा-1 (मोटार्ड 6 इंच लगभग)	

प्ररूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :—

ग्राम-भानगढ़, प. ह. नं. 14

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	अप्रभावित होने से निरंक
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	अप्रभावित होने से निरंक
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन.	अप्रभावित होने से निरंक
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	अप्रभावित होने से निरंक
5	पेयजल के स्रोत	अप्रभावित होने से निरंक
6	पशुओं के लिये जलस्रोत	अप्रभावित होने से निरंक
7	सामुदायिक तालाब	अप्रभावित होने से निरंक
8	जन सुविधाएं	अप्रभावित होने से निरंक
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.	जल निकास हेतु उचित व्यवस्था
10	अतिरिक्त उपाय	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 3 मई 2021

क्र. प्र. क्र. 6-अ-82-20-21-4827.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	शाहपुर	सोहागपुरढाना	1.425	उपमुख्य अभियंता मध्य रेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नंदकिशोर वल्द सददु जाति कुडमी, सुहागल बेवा रामेश्वर, राजकुमार वल्द रामेश्वर, सुमन, लक्ष्मी, पिंकी, रिंकी पिता रामेश्वर, जाति कुडमी भूमिस्वामी सा. देह,	190 189/1	0.028 0.056	0.008 0.056
2	नंदकिशोर वल्द सददु जाति कुडमी सा. देह भूमिस्वामी.	188 187/3	0.041 0.111	0.041 0.063
3	रामकेश, रामलाल, परमानंद वल्द वारिकराम, बहनवती, प्रेमवती पिता बारिकराम जाति कुडमी सा. सोहागपुरढाना.	187/1	0.389	0.161
4	सुहागल बेवा रामेश्वर, राजकुमार व. रामेश्वर, सुमन लक्ष्मी, पिंकी रिंकी पिता रामेश्वर, जाति कुडमी सा. देह. भूमिस्वामी.	187/2 185/1	0.117 0.139	0.101 0.127
5	भगवानदास वल्द शिवरतन जाति कुडमी सा. सोहागपुरढाना भूमिस्वामी.	186	0.462	0.055
6	दशरथ व. खुशीलाल, नर्मदाप्रसाद व. छोटया सुम्मा पिता शक्कर, रामकली बे.	184/1	1.272	0.186

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	शिवचरण, गरीबदास व शिवचरण, कमला बेवा रामभाउ, भगवानदास दीपचंद व. रामभाउ, चन्द्रकला बेवा मोहन, सुनील व. मोहन संतोषी पिता मोहन, मूलचंद, कोमल, संजू व. रगन, गीताबाई, वमीना पिता रगन कुडमी सा. सोहागपुरढाना भूमिस्वामी.					
7	मीरा जौजे रघुनाथ जाति कुडमी सा. सोहागपुरढाना भूमिस्वामी.			176/1	0.316	
8	रामबालक व. तुकाराम जाति कुडमी सा. सोहागपुरढाना			176/2	0.631	
9	कुंवरलाल व. तुकाराम जाति कुडमी सा. देह भूमिस्वामी.			176/3	0.631	
10	श्याम व. नंदकिशोर जाति कुडमी सा. देह भूमिस्वामी.			176/6	0.315	
11	कनेरी व. व. लट्टु जाति कुडमी सा. देह भूमिस्वामी.			175/1	0.472	
12	कंछेदी, कनेरीलाल व. लट्टु मंगलचंद व. हरिशंकर कुडमी सा. देह भूमिस्वामी.			175/3	0.472	
				योग . .	10.245	1.425

2. चूंकि, तीसरी रेलवे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है.

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. धारा 15(2) के अधीन कोई भी व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं.

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

5. समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

बैतूल, दिनांक 8 जून 2021

प्र. क्र. 001-अ-82-21-22-5401.—चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित मकानों, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	बैतूल	बोरीकास (डोलियामउ)	शासकीय भूमि पर स्थित पट्टे धारकों के 36 मकानों का अर्जन.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 02, बैतूल.	मेंढा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से.

अनुसूची-2

(मकान धारकों की सूची)

क्र.	प्रभावित व्यक्ति का नाम	भूमि खसरा नम्बर	मकानों की संख्या	मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मोहरी व सकलू	24	1	101.50
2	भूते जौ. जौहरी	24	1	31.75
3	ढीमरा व. भादू	24	1	31.75
4	बिसराम व. रंजी	24	1	15.12
5	इमरत व. केशर	24	1	74.10
6	चन्दू व. गोरे	24	1	53.25
7	रामकिशोर व छोटेराल	24	1	85.49
8	श्यामलाल व. अजोब	24	1	30.60
9	रामलाल व. अजोब	24	1	59.76
10	मोंग्या व. पोलजी	24	1	20.75
11	बिरजू व. मोंग्या	24	1	115.64
12	मोहन व. पोलजी	24	1	20.58
13	मुंशी व. साहबू	24	1	57.60
14	साहबू व. पोलजी	24	1	191.88
15	साहबलाल व. पोलजी	24	1	15.40
16	पांड्या व. पोलजी	24	1	100.75
17	चन्दर व. पांड्या	24	1	19.52
18	रन्नो व. पांड्या	24	1	14.50
19	ईश्वर व. पांड्या	24	1	43.43
		24	1	12.00
		24	1	74.10
		24	1	102.60
		24	1	26.00
		24	1	61.18
		24	1	3.25
		24	1	5.76
		24	1	80.30
		24	1	61.18
		24	1	61.18
		24	1	61.18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	गोंदू व. तेजी	24	1	112.20
		24	1	12.00
21	दल्लू व. नन्हे	24	1	78.20
		24	1	28.00
22	द्रोपदी जौ. नन्दू	24	1	31.27
योग . . . 1			36	—

2. चूँकि मेंढा मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों के मकानों का अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे 22 परिवारों का विस्थापन हो रहा है. धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक् से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचर-पत्रों में पृथक् से प्रकाशित किया जा चुका है.

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मकानों का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसे मकानों पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

5. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

बैतूल, दिनांक 9 अगस्त 2021

क्र. 12-अ-82-20-21-7339.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल (म. प्र.)	भैंसदेही	कोयलारी	0.872	कोयलारी लघु जलाशय

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दशरथ, राजू संजू व. नारायण, संगीता ममता पिता नारायण जाति कुन्बी निवासी विजयग्राम.	175/1	7.859	0.872

2. चूँकि कोयलारी लघु जलाशय के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है.

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

सीधी, दिनांक 12 अगस्त 2021

क्र. 366-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—पचोखर
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—19-पचोखर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.974 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3188	0.003	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	3208	0.035		
3	3209	0.015		
4	3212	0.015		
5	3222	0.090		
6	3223	0.085		
7	3224	0.040		
8	3232	0.002		
9	3240	0.004		
10	3241	0.032		
11	3440	0.004		
12	3478	0.005		
13	3479	0.125		
14	3480	0.001		
15	3499	0.130		
16	3501	0.010		
17	3503	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	3504	0.010		
19	3505	0.010		
20	3506	0.008		
21	3507	0.006		
22	3508	0.004		
23	3513	0.030		
24	3532/1	0.010		
25	2532/2/1	0.005		
26	3533	0.001		
27	3534	0.130		
28	3541	0.030		
29	3832	0.065		
30	3828	0.059		
निजी भूमि का योग . .		0.974		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 368-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—बड़खड़ा 735
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बड़खड़ा 740
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.300 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	328/2	0.300	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
निजी भूमि का योग . .		0.300		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 370-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
 (ग) ग्राम—मऊ
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—21-मऊ
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.317 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2247/1	0.02	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	2251	0.001		
3	2260/1	0.002		
4	2266/2/1	0.002		
5	2269/2	0.05		
6	2271/2	0.05		
7	2278	0.002		
8	2290	0.05		
9	2309	0.032		
10	2343	0.072		
11	2397	0.032		
12	2445	0.004		

निजी भूमि का योग . . 0.317

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 372-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—कुड़िया कोठार
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—कुड़िया पवाई
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.004 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	430	0.004	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
		निजी भूमि का योग . . 0.004		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 374-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें

क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—रायखोर
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—23-रामपुर
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.540 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	33/1/1	0.297	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	33/1/2	0.235	मध्य रेलवे, जबलपुर.	
3	92/1	0.003		
4	245/2	0.005		
निजी भूमि का योग		0.540		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 376-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—कुड़िया पवाई
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—कुड़िया पवाई

(ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.244 हेक्टेयर.				
क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	919/1	0.060	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	919/2			
3	936/1/1			
4	936/2/1			
5	936/2/2			
		निजी भूमि का योग . . 0.244		

(2) भूमि का नक्शा, (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 378-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—अमरपुर
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—अमरपुर
- (ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.130 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	32	0.015	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	54	0.100		
3	57	0.007		
4	60	0.008		
		निजी भूमि का योग . . 0.130		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 380-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—कोदईडांड
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—23-रामपुर
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.002 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	86	0.002	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
निजी भूमि का योग		0.002		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 382-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें

क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—चुरहट
 (ग) ग्राम—चिलरी कला
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.226 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	444/1/1	0.171	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	444/1/3/1			
3	444/2			
4	444/1/ख/3			
5	453/1	0.055		
6	453/2			
7	453/3			
8	453/4			
9	453/5			
निजी भूमि का योग . .		0.226		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 384-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
 (ग) ग्राम—गोपालपुर
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—29-गोपालपुर

(ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.436 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7/1	0.032	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	7/2	0.004		
3	90/1	0.100		
4	90/2	0.030		
5	102	0.270		
निजी भूमि का योग . .		0.436		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 386-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—बड़ोखर
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—10-बड़बोर
- (ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.679 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	44/1	0.002	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	44/2			
3	285	0.190		
4	287	0.002		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	308	0.055		
6	309/1	0.060		
7	309/2			
8	324	0.075		
9	339	0.210		
10	350/1	0.045		
11	350/2			
12	357	0.040		

निजी भूमि का योग . . 0.679

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 350-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—चुरहट
 (ग) ग्राम—पतेरी
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—18-दुअरा
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.075 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	241/1	0.065	उपमुख्य अभियंता (निर्माण),	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
2	241/2		पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	निर्माण हेतु.
3	231	0.010		

निजी भूमि का योग . . 0.075

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 352-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—चुरहट
 (ग) ग्राम—खम्हौनिया कला नम्बर-01, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—08-हर्दिहा पवाड़
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.119 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	20/1/1	0.073	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	20/1/2	0.074		
3	29/1	0.040		
4	29/2/1			
5	468/1/1	0.200		
6	468/1/2			
7	471	0.080		
8	515/1	0.140		
9	520	0.060		
10	528	0.085		
11	531	0.010		
12	532	0.025		
13	534	0.002		
14	21/554/1	0.030		
15	21/554/2			
16	409/1/1	0.210		
17	409/1/2	0.020		
18	409/2	0.070		

निजी भूमि का योग . . 1.119

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 354-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—सांडा, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—15-सांडा
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.055 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	29	0.020	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	166	0.035		
निजी भूमि का योग . .		0.055		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 356-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें

क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—चुरहट
 (ग) ग्राम—भेलकी 822, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—11-भेलकी
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.044 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	478	0.006	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	550/1/1	0.038		
3	550/1/2			
4	550/2			
निजी भूमि का योग . .		0.044		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 358-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—चुरहट
 (ग) ग्राम—बड़खरा 740, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बड़खरा 740

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.308 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	470/5	0.004	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	522	0.008		
3	523	0.042		
4	539/1	0.008		
5	542	0.032		
6	634	0.003		
7	643/1	0.137		
8	643/2			
9	643/3			
10	643/4			
11	645	0.062		
12	844	0.012		

निजी भूमि का योग . . 0.308

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 360-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—पड़खुरी, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—16-पड़खुरी

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.068 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3340	0.002	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	3377	0.004		
3	3437	0.060		
4	3441	0.002		

निजी भूमि का योग . . 0.068

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 362-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—हर्दिहा पवाई, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—08-हर्दिहा पवाई
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.872 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	77	0.460	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	78	0.180		
3	82	0.032		
4	108	0.160		
5	139	0.040		

निजी भूमि का योग . . 0.872

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 364-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम-जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—चुरहट
 (ग) ग्राम—हर्दिहा कोठार, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—08-हर्दिहा पवाई
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.052 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	137	0.002	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	141	0.012		
3	142	0.002		
4	146/1	0.004		
5	146/2/1			
6	146/2/2/1			
7	146/2/3			
8	147/1	0.004		
9	147/2			
10	147/3			
11	151	0.002		
12	152/1/1	0.026		
13	152/2/1			

निजी भूमि का योग . . 0.052

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंडसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंडसौर, दिनांक 25 अगस्त 2021

क्रमांक री-1-भू-अर्जन-2021-346-प्र. क्र. 1-अ-82-2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 मंडसौर जिले में चोसला तालाब के वेस्ट वियर के पानी में भूमि मटेरियल द्वारा प्रभावित खेत पर जाने के कारण के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है.

अनुसूची (1)

ग्राम टोड़ी, तहसील-मंडसौर

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.		
		सिंचित (3)	असिंचित (4)	कुल (5)
(1)	(2)			
1	ग्राम टोड़ी	—	0.142	0.142
		—	0.142	0.142

अनुसूची-2

मंडसौर जिले में आने वाली निजी भूमि का विवरण :-

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित (5)	असिंचित (हे. में.) (6)	कुल (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पुष्पा बेवा संतोष बिहारी, विवेक, वैशाली पिता संतोष बिहारी जाति कायस्थ निवासी मंडसौर म. प्र.	1	5.040	—	0.142	0.142
		1	5.040	—	0.142	0.142
				योग . . 0.142		

भूमि का नक्शा व प्लान का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, मंडसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

शिवपुरी, दिनांक 26 अगस्त 2021

क्र. 404.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण						
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नम्बर	रकवा हे.	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	खनियाधाना	नारौनी	30/3	0.12	परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी, म. प्र.	लोअर ओर सिंचाई परि-योजना के अन्तर्गत लोअर ओर बांध का निर्माण कार्य.
			93/9	0.5		
			116	0.11		
			123	0.2		
			161/1	0.6		
			161/4	0.6		
			175/1	0.17		
			180	0.03		
			182	0.45		
			207/1	0.55		
			230/9	0.6		
			244/2	0.21		
			262	0.41		
			294	0.25		
			406	0.27		
			428	0.09		
			454	0.06		
			484/3	0.05		
			योग . . .	5.27		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 34-अ-82-2020-21-9162

बैतूल, दिनांक 6 सितम्बर 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	डुँडाबोरगांव	15.834	गढा मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची)

स.क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (है.में)	कुल अर्जित रकबा (है.में)
1	2	4	5	6
1	परसराम व मौजीलाल गौली सा. मंडईबुजूर्ग	2	0.158	0.158
		4	0.421	0.421
		15	0.494	0.243
2	मुस्तफा यूसुफ नजमी पि. दाउद नजमी मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	5	0.628	0.628
3	सूरत मूरत आनन्द व. बारिक गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	8/1	2.230	2.230
4	नान्ही वि. रामा गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	8/2	0.639	0.303
		39	0.749	0.097
5	भादू व० चिन्त्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	10	4.096	1.052

6	कैलाश व0 चिन्त्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	11	1.692	1.41
		14	0.036	0.036
		50	3.400	3.271
7	भूता व तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	12	0.700	0.061
		17	0.684	0.202
8	मालती पि. चिन्त्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	13	0.417	0.202
9	उदल व परसराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	16	0.036	0.036
		49/1	2.404	0.890
10	नारायणलाल , शांतिलाल व0 माधवलाल भैरूलाल व0 रतनलाल जाट निवासी ग्राम भूमिस्वामी	51	4.868	0.243
11	ननकी बे. जिकरी , सूरत, बलदेव, बलीराम जगोती, सूनील अनिल पि. चन्दू अनिता, संगीता पि. चन्दू , शिवम , दीपिका ना. बा. पिता सित्तम निवासी ग्राम भूमिस्वामी	52	0.547	0.506
		59	1.210	0.898
		63	0.474	0.074
12	बिरजु व0 नन्हू गोंड निवासी ग्राम भूमि.	53	0.858	0.081
13	मधु व0 नौखे, कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	64/1	5.119	1.698
		64/2	8.094	0.728
14	देवाजी व0 शंकर सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	65/1	0.951	0.021
15	नारायण व चिन्त्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	66	2.059	0.284
16	गिरी ना0बा0 व गोपाल वली. मां उमा कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	58/3	0.733	0.061
	ग्राम का कुल योग :-	26	43.697	15.834

(2) चूंकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 36-अ-82-2020-21-9164

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	आखतवाडा	8.197	गढा मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)

1	भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे०.में)	कुल अर्जित रकबा (हे०.में)
1	2	3	4	5
1	गोविन्द वल्द पांडू पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	2/1	0.546	0.057
2	मोहन वल्द कन्हई पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	2/2	0.547	0.263
		16/6	0.102	0.102
3	लखन वल्द पांडू पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	2/3	0.547	0.386
		2/6	2.188	0.490
		16/3	0.303	0.303
4	सायबू वल्द बाबू पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	2/4	0.274	0.233
		2/9	1.093	0.345
		16/1	0.151	0.089

5	सुनीता वेवा गोरेलाल मुकेश सतीश वल्द गोरेलाल निवासी ग्राम भूमिस्वामी	2/5	0.274	0.274
		2/8	1.094	0.525
		16/2	0.151	0.118
6	राजू वल्द गोविन्द पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	2/7	1.094	0.206
		16/7	0.152	0.152
7	प्यारे वल्द कन्हई पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	2/10	0.458	0.101
		2/14	0.458	0.142
		16/4	0.101	0.101
8	गज्जू वल्द कन्हई पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	2/11	0.458	0.129
		16/5	0.101	0.101
9	सरजेराव वल्द गोविन्द उर्फ गेंदाराम पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	2/15	1.094	0.210
10	रविशंकर वल्द रामेश्वर कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3/2	2.731	0.097
		3/4	0.971	0.085
11	लक्ष्मीनारायण वल्द गोपाल जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3/3	5.461	0.097
		15/1	0.809	0.181
12	अर्जुनसिंग वल्द बुधूसिंग राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	15/3	2.472	0.472
13	पीखा वल्द तुलसीराम कुन्बी सा. खेडी सांवलीगढ भूमिस्वामी	19/4	0.040	0.020
14	सुधा उर्फ सुधाकर वल्द तुलसीराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	19/6	0.891	0.097
15	सुरेश वल्द कलीराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	19/7	0.202	0.101
16	घनश्याम वल्द कलीराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	19/8	0.202	0.097
17	रमेश वल्द कलीराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	19/9	0.202	0.105
18	बुधू उर्फ बुधराव वल्द तुलसी राम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	19/10	0.587	0.540
19	काशी पुत्री शिवराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	19/11	0.032	0.032
20	सुमन वेवा गुलाबराव अनीता प्रीती पुत्री गुलाबराव अनिश वल्द गुलाबराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	20/1	0.587	0.289
21	हरीराम वल्द उमराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	20/2	0.229	0.057

22	सरवन वल्द भभीसन उर्मिला ममता पिता भभीसन कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	20/3	0.215	0.118
23	उमेश, प्रदीप वल्द श्रीराम गीता संगीता पिता श्रीराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	20/7	0.229	0.109
24	नारायण वल्द उमराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	20/10	0.230	0.101
25	अनुसईया पति उमरावजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	32/2	2.361	0.162
26	सुखदयाल वल्द शिवचरण सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	36/1	1.376	0.486
		9/2	0.850	0.081
27	विजय वल्द फत्तूलाल सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	36/3	0.244	0.073
28	लक्ष्मीनारायण वल्द फत्तूलाल सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	36/4	0.244	0.077
29	सुनील वल्द फत्तूलाल सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	36/5	0.244	0.012
30	प्रताप, प्रदीप, प्रधुम्न, वल्द बलदेव अनुसैया, अल्का, अरुणा, पुत्री बलदेव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	215/2	2.429	0.162
31	नाथुराम वल्द शिवचरण सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	9/1	0.409	0.138
32	सुरेन्द्र वल्द फत्तूलाल सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	9/3	0.631	0.081
	कुल योग	46	36.064	8.197

(2) चूँकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 34-अ-82-2020-21-9166

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-\

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	मालापुंर	57.881	गढा मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची)

स.क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे० में)	कुल अर्जित रकबा हे०में
1	2	3	4	5
1	सुन्दरलाल पिता रामलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	41/2	4.046	2.329
2	घनश्याम व. सुन्दरलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	41/3/1	0.708	0.445
3	गोकुल वि. सुन्दरलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	41/3/2	0.708	0.708
4	चिरोजी पि. सुन्दरलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	41/3/3	0.709	0.709
5	मानक वा. सुन्दरलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	41/3/4	0.709	0.709
6	भगवत वि. झापू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	41/4	4.358	2.781
7	पिट्टल पिता मिसरू आशाराम ख्यालीराम पिता विट्टल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	42/1	1.223	0.235
8	पिट्टल पिता मिसरू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	42/2	0.405	0.204
		46	1.890	0.186

9	लखन पि. बाबूलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	42/3/1	1.455	0.632
10	लक्ष्मण व बाबूलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	42/3/2	1.455	0.688
11	सरवन पिता गोमाजी कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	42/4/2	0.889	0.889
12	पूनियाबाई बेवा बिहारी, चैतराम, गजाराम पिता. बिहारी, इतवन्ती, पूरनाबाई, रामप्यारी, रामदूलारी पिता बिहारी कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि स्वामी	47	0.466	0.466
		49/2	1.429	1.429
		49/3	0.566	0.566
		54	0.943	0.943
13	चरण वि. साबन्या कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	48/1/1	1.062	1.062
14	चिरोज पि. सावन्या कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	48/1/2	1.063	1.063
15	भददू पि. चिरोजी कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	48/2	0.809	0.607
16	देवकीबाई बेवा मानक, कन्हैया, रिसीराम व. मानक, सुनीता अनीता पुत्री मानक कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	49/1	1.432	1.432
		49/4	0.405	0.405
17	गोमा पिता मंगरन कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	50/1	1.176	1.176
		51/1	0.239	0.239
18	छोटू पिता मंगरु कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	50/2	0.986	0.986
		51/2	0.239	0.239
		52/1	0.191	0.191
19	होरीलाल हरिराम पिता श्यामा बसन्ती पिता श्यामा कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	50/3	0.400	0.400
		51/3	0.239	0.239
		52/2	0.776	0.776
20	दयाराम पिता तुलसीराम तुलसीराम पिता पन्ना कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	55/1	0.809	0.809
		55/2/1	1.838	1.838
		55/3	1.233	1.233
21	रामप्रसाद कि भोलू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	56/1	0.573	0.573
		56/2	1.717	1.717
22	गुरुदयाल पि. भोलू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	56/2	0.572	0.552
		56/4	1.717	1.717
23	कुंवरलाल पि. भोलू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	56/3/1	0.370	0.370
		56/5	1.717	1.717
24	लखन लक्ष्मण पिता बाबूलाला, बौना, मूलो, दुल्लो पि. बाबूलाल, यशवंतराव, किर्तिराम, हरिचरण, शिवचरण पि. सोमा, नथनबाई, सीताबाई पुत्री सोमा, भागाबाई बेवा सोमा कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	58/1	2.279	2.279
25	सावन्या पि. महंगी कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	58/2	2.278	2.278
26	रामा पि. मंगरु कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	59/1	2.576	1.734

27	सरवन पि. गोमा कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	59/3	2.374	1.848
28	रामदेव श्यामदेव पि. गणेश कलाबाई मालाबाई पि. गणेश जयपाल गोपाल पि. रोशन देवकी पि. रोशन कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	60/1	2.281	2.281
29	लखन लक्ष्मण पि. बाबू दूलीबाई बीनाबाई मूलीबाई पि. बाबू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	60/2	2.280	2.280
30	आशाराम, काशीराम, राजाराम पि. सुकू देवकी पि. सुकू कुंवरलाल पिता रामलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	61/1	2.762	1.760
		61/2	0.809	0.809
31	देवमन पि. नंदनकुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	61/3	1.400	1.318
32	मोहन पिता कुंवरलाल नारे, कुन्बी सा कुम्हारिया भूमि	56/3/2	0.202	0.202
33	दीनू पि. नंदन कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि	61/4	1.372	1.300
34	मंगल पि. सोबू कलाबाई बे. सोबू नाई सा. कोदारोटी भूमि	62/1	0.349	0.349
		64/2	0.291	0.291
35	सुगरती बेवा चैतराम, कैलाश, कमल पि. चैतराम, कौशल्य पि. चैतराम ममता पि. चैतराम-नाई सा. कोदारोटी भूमि	62/2	0.492	0.492
		64/1	1.721	1.721
36	परसराम व. सोबू कलाबाई बे. सोबू सा. कुम्हारिया भूमि	62/3	0.349	0.349
		64/3	0.291	0.291
37	लक्ष्मण पि. सोबू कलाबाई बे. साबू सा. कुम्हारिया भूमि	62/4	0.349	0.349
		64/4	0.291	0.291
38	घनश्याम पि. गणेश सा. कोदारोटी भूमि	63/1	0.536	0.536
39	अर्जुन पि. गणेश नाई सा. कोदारोटी भूमि	63/2	0.535	0.535
40	भीमा पि. गणेशनाई सा. कोदारोटी भूमि	63/3	0.536	0.536
41	गुरुदयाल पि. मंजन नाई सा. कोदारोटी भूमि	65	2.792	0.792
	योग :-	61	70.667	57.881

(2) चूंकि गढ़ा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 42-अ-82-2020-21-9168

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	गढा	74.718	गढा मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)

स. क.	भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे.में)	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	आशीष वल्द इन्द्रदेव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	194/1 321/3	1.991 0.882	0.137 0.218
2	वासुदेव वल्द लालजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	194/2	3.982	0.016
3	निलेश वल्द ईन्द्रदेव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	194/3 321/5	1.991 0.883	0.057 0.794
4	आनन्दराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	223/3 234/1	0.823 0.248	0.575 0.248
5	मानिकराव वल्द गेंदू कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	224/1	2.132	1.011

6	कोतिकाबाई पुत्री शिवराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	224/2	1.214	0.607
7	साहबराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	225/2	0.838	0.531
		240/5	0.779	0.779
8	सुधाकर वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	225/3	0.838	0.462
		240/6	0.776	0.776
9	दौलतराव ज्ञानराव किसनराव भोजराज साहेबराव सुधाकर वल्द सरजेराव शीला लीला पिता सरजेराव पारवती पति रामराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	229	0.202	0.202
10	भोजराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	232/1	1.167	1.167
		240/1	0.775	0.775
		238/6	2.463	2.463
11	दौलतराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	232/2	1.167	1.167
		234/3	0.248	0.248
		240/3	0.774	0.774
		238/5	0.910	0.041
12	किसनराव सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	232/3	1.167	1.167
		238/1	2.464	1.437
13	अमृतराव वल्द केशोराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/1	2.124	2.124
		239/3	1.783	1.394
14	भीमराव वल्द केशोराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/2	0.607	0.607
15	सुदीप वल्द संतोषराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/3	0.253	0.253
16	विनायकराव वल्द मानिकराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/4	0.405	0.405
17	प्रदीप वल्द संतोषराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/5	0.252	0.252
18	गणेशराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	234/2	0.249	0.249
19	मानिकराव वल्द किसनू सयाबाई पुत्री किसनू कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	235	2.428	2.428
20	ज्ञानराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	238/2	1.350	0.170
		240/2	0.775	0.775
21	भागरती देवा केशोराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	239/2	0.809	0.129
22	वामराव वल्द मानिकराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	240/4	0.774	0.774
23	बकुबाई पति नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241/1/1	1.025	1.025
24	भीमराव वल्द नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241/1/2	1.025	1.025

25	लक्ष्मण वल्द नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241/1/3	1.024	1.024
26	आनन्दराव वल्द नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241/1/4	1.024	1.024
27	रमेश वल्द नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241/1/5	1.024	1.024
28	गणेशराव वल्द नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241/1/6	1.024	0.887
29	देवेन्द्र वल्द मानिकराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241/2	1.375	1.375
30	राजेन्द्र वल्द मानिकराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241/3	1.375	1.140
31	गजेन्द्र वल्द मानिकराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241/4	1.375	0.364
32	मिल्लो वेवा सुम्मत रंगलाल वल्द सुम्मत फूला रमकी पिता सुम्मत गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	243/2	0.364	0.364
		244/2	0.304	0.304
33	ईश्वरदास वल्द निम्बाजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/1	3.199	3.142
		249/1	0.133	0.133
		250/1	1.983	0.146
34	नितेश धर्मराज देवदत्त बलदेव राहुल संदीप वल्द हनुमन्तराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/2	3.890	3.890
		247	1.578	1.578
		248	0.943	0.943
		250/2	2.509	0.251
35	राधिका पति ईश्वरदास कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/3	1.214	1.214
36	धर्मराज वल्द हनुमन्तराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/4	1.173	1.052
37	शक्रधर ईश्वरदास बबलू पिता निम्बाजी यमादेवी सिन्धू पिता निम्बाजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/5	0.870	0.821
38	कौतिकाबाई वेवा गुलाबराव, सोनम पुत्री गुलाबराव, पाण्डूरंग पिता गुलाबराव, देविकाबाई बेवा गुलाबराव सुशीला पुत्री गुलाबराव, आशा, कांता ललिता अनिता, संगीता, सुनीता पिता गुलाबराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/6	3.199	3.037
		246/7	0.870	0.870
		249/2	0.131	0.131
39	दिनेश वल्द बिसराम महेरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	253	0.502	0.057
		257/6/1	0.405	0.405
40	शिवदीन वल्द सक्या महेरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	254/1	1.243	0.299
41	रामरतन वल्द लक्ष्मन भोयर निवासी ग्राम भूमिस्वामी	256	0.717	0.596
42	नारायण वल्द पतिराम महेरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	257/1	0.324	0.041
43	सुगन्ति वेवा बिसराम महेरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	257/2	1.410	0.688
44	मालती पति नारायणप्रसाद तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	308/1/1	0.920	0.162
45	नारायणप्रसाद वल्द गोबरया तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	308/1/2	1.620	0.446

46	पंजाबराव वल्द लालजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	308/2	1.345	0.648
		325	6.382	5.622
47	सत्यदेव वल्द पंजाबराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	309/1	0.668	0.129
48	राजेन्द्र वल्द बालाजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	309/2	1.610	1.06
49	उषा वेवा इन्द्रदेव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	310	1.987	1.696
50	रजत वल्द वासुदेव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	321/4	1.760	1.760
51	बालाजी वल्द लालाजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	323	5.196	4.848
		324	0.684	0.684
52	हनुमन्तराव वल्द विठठलराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	326	0.668	0.266
		328	3.335	3.335
कुल योग:-		77	103.930	74.718

- (2) चूंकि गढा मध्यम जलाशय के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 36-अ-82-2020-21-9170

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	डोकिया	15.976	गढा मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची)

स.क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे.में)	कुल अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	4	5	6
1	लखन, भरत वल्द धरमू गोली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	77/1	1.920	0.138
2	धरमसिंग व० विश्राम सिंग निवासी ग्राम भूमिस्वामी	112/1	0.275	0.170
3	गब्बू रघू वल्द मोडडी सुकिया सूकी मुसिया पिता मोडडी सुखदेव मगरसिंग गोरे वल्द बेनी, फूल्लो, समोती पिता बेनी कन्नू मन्नू वल्द गुलाब रूपेश वल्द गंजन छन्नू मोहन वल्द पूना दसिया वेवा पूना बाबूलाल वल्द नवलू, सुगन्ता सुमन नन्दिया, बिन्दिया, इमला, विमला, मंगाा, कस्तूरी पिता नवलू पस्थान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	113/1 193/1	4.174 2.241	0.121 1.052
4	प्रेमलाल वल्द बोंदरू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	160/2	2.963	0.834
5	हेमराज वल्द टेनू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	161/1	0.521	0.521
6	मुजयवन्ती पिता रूपलाल मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	161/2	1.136	1.136
7	सीमा पति ललित हुरमाड़े मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	161/3 161/4	0.405 0.202	0.405 0.202

8	सुनील वल्द हेमराज मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	161/5	0.522	0.522
9	अनिल वल्द हेमराज मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	161/6	0.522	0.522
10	रूपलाल वल्द भूरा मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	162	3.132	3.132
11	रामभरोस वल्द मुन्शीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	163/1	0.740	0.740
12	तुरसा वेवा गणेश रामकिशोर वल्द गणेश अनीता सुमन किरण पिता गणेश गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	163/2	0.740	0.740
13	श्रीराम वल्द ओझा गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	163/3	0.370	0.370
14	पप्पू वल्द ओझा गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	163/4	0.370	0.370
15	सुखराम वल्द मुन्शीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	163/5	0.740	0.740
16	कला पिता मुन्शीलाल रामकला पिता मुन्शीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	163/6	0.172	0.172
17	दिव्या ना0 बा0 पुत्री रूपचन्द वली मां उषा ,उषा वेवा रूपचन्द मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	164/1	0.539	0.539
18	प्रभूदयाल वल्द नत्थू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	164/2	0.539	0.539
19	रामदयाल वल्द नत्थू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	164/3	0.541	0.541
20	रेहाना परवीन जौजे बशीर सिद्दीकी मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	166	7.879	1.112
21	सुन्दर पिता श्यामा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	167/1	0.415	0.089
		171/1	0.172	0.065
22	राजू वल्द सुन्दर मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	167/3	0.809	0.105
23	जगती वेवा गोपाल बाला वल्द गरबसिंग, फून्दू मौजी राजू किशोर ,सुनील वल्द भोला, लक्ष्मी पिता भोला निवासी ग्राम भूमिस्वामी	170	1.740	0.101
24	मगरसिंग सुखदेव वल्द बेनी गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	193/2	0.430	0.179
25	गरबसिंग सरबसिंग वल्द बली गंजन व0 बली, सदिवा पिता बली, गब्बू, रधू वल्द मोडडी, मुसिया, रूपी, सूकी ,सकिया पिता मोडडी, बेनी वल्द गिरवन कन्नू मन्नू वल्द गुलाब, सुम्नो वेवा गुलाब चूनी मुनिया पिता कुंवर गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	195/1	0.870	0.588
		195/3	0.652	0.012
26	मुनिया पिता कुंवर गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	195/2	0.218	0.058
27	नान्दू वल्द मंगल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	196/1	1.631	0.161
	ग्राम का कुल योग:-	31	39.832	15.976

(2) चूंकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 35-अ-82-2020-21-9172

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	देवगाव	39.385	गढा मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)

स. क.	भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे.में)	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	कमलसिंह वल्द किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3/1	0.369	0.369
		4/3	1.255	1.255
		4/7	0.150	0.150
2	धनराजसिंह वल्द किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3/2	0.368	0.368
		4/9	0.682	0.682
		4/12	0.315	0.315
		4/13	0.405	0.405
3	मुल्लो वेवा किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/1	0.421	0.421
4	ईन्दोरसिंह वल्द चौवलसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/2	2.249	1.836
		4/10	0.644	0.644
		4/11	0.040	0.040
5	चन्द्राबाई वेवा गोलूसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/4	1.699	1.699

6	घुरवनसिंह वल्द किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/5	0.405	0.405
		4/16	0.558	0.558
		4/17	0.846	0.846
		4/18	0.420	0.420
7	मुन्नासिंह वल्द कैलाशसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/6	0.485	0.121
		4/30	1.214	0.364
8	सुभा पत्नि कमलसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/8	0.969	0.969
9	शोबितसिंह वल्द किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/14	0.486	0.486
		4/15	0.924	0.924
10	भूलाबाई पिता किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/19	0.421	0.421
11	धम्माबाई पिता किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/20	0.421	0.421
12	निर्मलाबाई पिता किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/21	0.421	0.348
13	कमाबाई पिता किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/22	0.420	0.093
14	कुन्तीबाई पत्नि सुरजन सिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/28	0.405	0.405
15	कमलती पिता किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	4/23	0.420	0.041
16	आनन्दकुमार वल्द कुन्दनलाल कलार ग्राम भूमिस्वामी	5/1	0.430	0.430
		5/4	0.260	0.081
17	प्रेमचन्द वल्द कुन्दनलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	5/2	0.430	0.307
18	फूलचन्द वल्द कुन्दनलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	5/3	0.380	0.154
19	स्वरूपचन्द वल्द कुन्दनलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	5/5	0.220	0.041
20	हुस्नाबी वेवा मो0 अख्तर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	9	0.717	0.474
		12/1	0.432	0.432
		14	1.007	1.007
		18	0.372	0.372
		20	0.478	0.478
21	साहबलाल वल्द बारीक मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	11/1	2.499	1.520
22	कमलेश वल्द जिल्लू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	11/2	1.250	0.853
23	सुखनन्दन वल्द जिल्लू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	11/3	0.844	0.520
24	मनीष मोहित ना0 बा0 व बली सुखनन्दन, सुखनन्दन वल्द जिल्लू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	11/4	0.405	0.405
25	मो0 अल्ताफ वल्द मो0 अख्तर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	12/2	2.000	1.911
		61/3	1.792	0.664
		62/3	0.061	0.061
		63/3	5.309	0.409
26	सबीहा पुत्री मो0 अख्तर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	12/3	1.000	0.701
27	सुल्ताना पिता मो0 अख्तर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	16/1	0.553	0.553
28	रेहाना पिता मो0 अख्तर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	16/2	0.131	0.131
		17	0.299	0.299
29	शांताबाई वेवा विट्ठलराव गेन्दराम नागोराव केशोराव रामशंकर वल्द विट्ठलराव, सुरेखा पिता विट्ठलराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	23/1	2.630	1.090
		23/5	0.877	0.877
30	गुणवन्तराव वल्द रून्जया कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	23/2	0.876	0.546
		23/4	2.629	1.755

31	राधेश्याम उर्फ राजेश वल्द नारायण कुन्बी भूमिस्वामी	23/3	2.629	0.898
32	राधेश्याम वल्द नारायण सरिता, भूरो, सिन्धु, द्वारका पुत्री नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	23/6	0.877	0.836
33	चन्द्रसिंह, ओमकारसिंह, दीपकसिंह, राकेशसिंह वल्द विशाल सिंह फूलवा ललिता, माया पुत्री विशालसिंह फूलवन्ती वेवा विशाल सिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	24	0.041	0.041
34	बरदारसिंह वल्द बिहारीसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	25/1	1.863	1.437
35	फूल्लोबाई पिता जिजोबा फूल्लोबाई पति ज्ञानराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	28/1	0.465	0.025
36	साहबराव वल्द सोनाजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	28/5	0.809	0.429
37	साहबलाल गोरेलाल वल्द बाबूलाल चमार भूमि स्वामी	30/2	0.810	0.536
38	पूर्णा पति मन्नुलाल नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी	57/2	0.607	0.073
39	वीरसिंह कबीरसिंह वल्द ईश्वरसिंह राजपूत भूमिस्वामी	58	0.850	0.388
40	शेखअमीन पिता शेखसमीम, शेखअजीत उर्फ अजमत पिता शेखसमीम शेखअलीम पिता शेखसमीम, शेखअजीम ना0 बा0 व0 शेखसमीम बली शाहजहां शाहजहां बेवा शेखसमीम मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	59/1	1.036	0.202
41	गुन्ता वल्द रामप्रसाद लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	59/2	1.214	0.177
42	गंगा शांती गीता पिता चैतराम विकास ना0 बा0 न0 मुन्नालाल वली गीता करीना ना0 बा0 पिता मुन्नालाल वला गीता गीता वेवा मुन्नालाल दुर्गेश दिलवर वल्द चैतराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	59/3	1.214	1.214
43	प्रेमशंकर कमलेश वल्द चिरोंजी शांता अनिता पुत्री चिरोंजी अनुसया वेवा चिरोंजी लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	59/4	0.809	0.809
44	रामप्यारी पत्नि टीकाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	59/5	0.567	0.534
45	चम्पा पेपा खुशीलाल कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	59/6	0.809	0.510
46	असमाखान वेवा मो0 अनवर अनम उर्फ मोहम्मद अली सिद्दकी मारिया उर्फ आफिया सिद्दकी पिता मो0 अनवर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	61/2 62/2	1.785 0.061	0.138 0.061
	योग:-	70	61.739	39.385

(2) चूंकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

क्र. 384-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

ग्वालियर, दिनांक 9 सितम्बर 2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आगरमालवा	आगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	आगरमालवा	नलखेडा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	आगरमालवा	बडौद	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	आगरमालवा	सुसनेर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 388-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अशोक नगर	अशोक नगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	अशोक नगर	ईसागढ	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	अशोक नगर	चन्देरी	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	अशोक नगर	नईसराए	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	अशोक नगर	पिपरई	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	अशोक नगर	बहादुरपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	अशोक नगर	मुंगावली	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	अशोक नगर	शादोरा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 386-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बुरहानपुर	खकनार	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	बुरहानपुर	नेपानगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	बुरहानपुर	बुरहानपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	बुरहानपुर	बुरहानपुर नगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 382-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्वालियर	ग्वालियर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	ग्वालियर	घाटीगांव	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	ग्वालियर	चीनोर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	ग्वालियर	डबरा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	ग्वालियर	तानसेन	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	ग्वालियर	भितरवार	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	ग्वालियर	भुरार	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	ग्वालियर	सिटी सेंटर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 385-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	होशंगाबाद	डोलरिया	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	होशंगाबाद	इटारसी	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	होशंगाबाद	पिपरिया	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	होशंगाबाद	बनखेडी	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	होशंगाबाद	बाबई	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	होशंगाबाद	सोहागपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	होशंगाबाद	होशंगाबाद	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
9	होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 393-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	इंदौर	कनाड़िया	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	इंदौर	खुडैल	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	इंदौर	जूनी इंदौर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	इंदौर	डॉ अम्बेडकर नगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	इंदौर	देपालपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	इंदौर	बिचोलीहप्सी	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	इंदौर	मल्हारगंज	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	इंदौर	राऊ	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
9	इंदौर	सांवेर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
10	इंदौर	हातोद	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 391-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खंडवा	खंडवा नगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	खंडवा	खंडवा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	खंडवा	खालवा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	खंडवा	पंधाना	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	खंडवा	पुनासा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	खंडवा	हरसूद	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 387-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मंदसौर	गरोठ	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	मंदसौर	दलौदा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	मंदसौर	भानपुरा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	मंदसौर	मंदसौर नगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	मंदसौर	मंदसौर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	मंदसौर	मल्हारगढ़	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	मंदसौर	शामगढ़	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	मंदसौर	सीतामऊ	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
9	मंदसौर	सुवासरा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 389-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नीमच	जावद	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	नीमच	जीरन	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	नीमच	नीमच	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	नीमच	नीमच नगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	नीमच	मनासा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	नीमच	रामपुरा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	नीमच	सिंगोली	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 383-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शाजापुर	अवन्तिपुर बड़ोदिया	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	शाजापुर	कालापिपल	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	शाजापुर	गुलाना	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	शाजापुर	पोलायकला	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	शाजापुर	भोमन बड़ोदिया	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	शाजापुर	शाजापुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	शाजापुर	सुजालपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 390-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सिंगरोली	चितरंगी	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	सिंगरोली	देवसर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	सिंगरोली	माड़ा	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	सिंगरोली	सरई	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	सिंगरोली	सिंगरोली	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	सिंगरोली	सिंगरोली नगर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

क्र. 392-2021-CLR-आबादी-भू-सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)
1	उमरिया	करकेली	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	उमरिया	चंदिया	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	उमरिया	नौरोजाबाद	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	उमरिया	पाली	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	उमरिया	बांधवगढ़	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	उमरिया	बिलासपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	उमरिया	मानपुर	तहसील के समस्तग्रामीणग्राम	तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 मई 2021

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट संबंधी अधिसूचना

भू-अर्जन-प्र. क्र. 0014-अ-82-2020-21.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र.-इन्दौर-डब्ल्यू-335-02, दिनांक 30-1-2019 प्रस्तुत कर खण्डवा-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास रेल्वे निर्माण कार्य हेतु ग्राम मालीपुरा, पटवारी हल्का नं. 95, तह. खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.47 है. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस न्यू ब्राडगेज रेल्वे लाईन का निर्माण कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	95	मालीपुरा	0.47 हे.	खण्डवा-सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास रेल्वे निर्माण कार्य.

नोट:—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 3 अगस्त 2021

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-20-21-पत्र क्र. 226-भू-अर्जन-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

भूमि का वर्णन					अनुसूची	धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र.).	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
सतना	नागौद	कचलोहा	336	0.049	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र.).	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र.).	नागौद-उचेहरा मार्ग के कि.मी. 2/6 में मगरैला नाले पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण हेतु.
			337	0.046			
			कुल रकबा . .	0.095			

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग-मऊगंज,
जिला-रीवा, मध्यप्रदेश
प्रारूप—घ
(नियम 6 देखिए)

मऊगंज, दिनांक 09 अगस्त 2021

क्र. 209-भू-अर्जन-कार्य-20.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 250, दिनांक 29 दिसम्बर 2020 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-ढनगन 414 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम-ढनगन 414, तहसील-मऊगंज, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 नवम्बर 2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों

से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	ढनगन 414,	2580	0.007
		पटवारी हल्का,	2579	0.006
		ढनगन.	2576	0.023
			2593	0.013
			2568	0.004
			2567	0.013
			2539	0.011
			2541	0.003
			2540	0.002
			2535	0.009
			2534	0.003
			2526	0.031
			2523	0.011
			198	0.013
			199	0.006
			202	0.015
			206	0.009
			207	0.010
			216	0.010
			215	0.006
			214	0.008
			878	0.002
			879	0.008
			880	0.006
			881	0.007
			882	0.008
			899	0.011
			903	0.018
			902	0.010
			909	0.007
			908	0.007
			930	0.002
			931	0.004
			932	0.004
			933	0.004
			2045	0.002
			2026	0.014
			2025	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2067	0.001
			2018	0.014
			2016	0.001
			2015	0.017
			1816	0.001
			1817	0.008
			1818	0.010
			1828	0.005
			1827	0.002
			1826	0.005
			1824	0.010
			1834	0.002
			1835	0.012
			1844	0.008
			1850	0.001
			1843	0.004
			1842	0.004
			1857	0.003
			1863	0.006
			1860	0.004
			1861	0.001
			1859	0.002
			1918	0.005
			1919	0.008
			1915	0.011
			1914	0.017
			1912	0.043
			1907	0.007
			1905	0.022
			1901	0.007
			3200	0.015
			3201	0.013
			3199	0.016
			3198	0.026
			3214	0.002
			3213	0.012
			3219	0.009
			3221	0.007
			3232	0.003
			3233	0.022
			3234	0.009
			3691	0.002
			3690	0.006
			3695	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3696	0.003
			3697	0.019
			3688	0.011
			3702	0.013
			3703	0.002
			3704	0.002
			3705	0.041
			3723	0.035
			3724	0.031
			3727	0.002
			3728	0.013
			3731	0.017
			3736	0.004
			3737	0.016
			3738	0.012
			3580	0.007
			2020	0.010

मऊगंज, दिनांक 09 अगस्त 2021

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 210-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 249, दिनांक 29 दिसम्बर 2020 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-खर्वा 174 तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 नवम्बर 2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्या कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मनगवां	खर्वा 174, पटवारी हल्का, 16 खर्वा.	12	0.014

ए. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 10 अगस्त 2021

क्र. 07-भू-अर्जन-2021-22-प्र. क्र.002-अ-82-वर्ष 2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अधिसूचना अनुसूची के कॉलम क्रमांक (01) से (04) में वर्णित भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	पटेरिया	0.85 निजी, 0.50 शास.	उप मुख्य अभियंता/नि. पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल.	बीना-कटनी तृतीय रेललाईन परियोजना.
कुल . .			1.35		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं उप मुख्य अभियंता/नि. पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 अगस्त 2021

पत्र क्र. 202-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 08 नवम्बर 2020 से दिनांक 08 नवम्बर 2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	अमरपाटन	ढाही वीरान	148	0.024	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी	बेला वितरक के माइनर
			147	0.026	नहर संभाग, जिला रीवा	क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
			144	0.004	(म. प्र.).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			146	0.043		
			119	0.147		
			123	0.054		
			122	0.053		
			126	0.006		
			96	0.112		
			94	0.024		
			55	0.079		
			56	0.006		
			58	0.256		
			59	0.015		
			23	0.033		
			22	0.060		
			68	0.002		
			67	0.003		
			21	0.120		
			20	0.012		
			69	0.058		
			11	0.137		
			12	0.010		
			10	0.001		

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .1.285

ब. म. प्र. शासन की भूमि

13 0.015

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.015

अ-ब का योग . . 1.300

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 11” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सुचारी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2021

क्र. A-2751-दो-2-5-2019.—श्री यशपाल सिंह, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 04 से 18 अगस्त 2021 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 22 अगस्त 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री यशपाल सिंह, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

पितृत्व अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यशपाल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्र. D-4158-दो-2-49-2018.—श्री व्ही. एन. बाजपेयी, डिप्टी कंट्रोलर (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2021 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 22 अगस्त 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एन. बाजपेयी, डिप्टी कंट्रोलर (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कंट्रोलर (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्र. D-4142-दो-2-23-2018.—श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक

12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-4146-दो-2-16-2019.—श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-4148-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री योगेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री गुप्ता को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश . . . 217

अर्द्धवेतन अवकाश . . . 83

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

(ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश = $\frac{83}{300} \times 217$ X 83

के एवज में नगद भुगतान. 30

क्र. D-4150-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018,

दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री सोनकर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	..	225
अर्द्धवेतन अवकाश	..	75
		<u>योग : 300 दिवस</u>

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

(ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश = $\frac{\text{अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता}}{\text{एवज में नगद भुगतान}}$ X 75

क्र. D-4152-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्रीमती आशा गोधा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्रीमती गोधा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	..	211
अर्द्धवेतन अवकाश	..	89
		<u>योग : 300 दिवस</u>

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 211 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

(ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश = $\frac{\text{अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता}}{\text{एवज में नगद भुगतान}}$ X 89

क्र. D-4154-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्रीमती शशीकला चन्द्रा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्रीमती चन्द्रा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	..	247
अर्द्धवेतन अवकाश	..	53
		<u>योग : 300 दिवस</u>

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 247 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

(ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश = $\frac{\text{अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता}}{\text{एवज में नगद भुगतान}}$ X 53

क्र. D-4156-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री गुप्ता को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को निम्नानुसार

अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2021

1. अर्जित अवकाश . . . 202
अर्द्धवेतन अवकाश . . . 98

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 202 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

- (ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश = _____ X 98
के एवज में नगद 30
भुगतान.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.

क्र. 395-स्था. सैट-2021.—श्रीमती रश्मि प्रशान्त, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (निवर्तमान सैट) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 10 मई से 13 जून 2021 तक, कुल तैंतीस दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14 जून से 03 जुलाई 2021 तक कुल बीस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

स्वीकृत लघुकृत अवकाश उनके अर्द्धवेतन अवकाश लेखे में दो-गुना विकलित होगा.

अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि प्रशान्त को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
प्रियदर्शन शर्मा, रजिस्ट्रार (प्रशासन).